फाइल सं0 6/10/एनसीएससी/2011-समन्वय प्रको-ठ

भारत सरकार

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

पांचवीं मंजिल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003
दिनांक 13 **मई**, 2011

वि-ायः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 14**वीं बैठक का कार्यवृत्त ।**

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की **दिनांक़ 09-05-2011 को अपराह्न** 2.00 **बजे** आयोजित 14**वीं बैठक** के अनुमोदित कार्यवृत्त की प्रति सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है ।

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री एम. शिवाना, सदस्य
4. श्री राजू परमार, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

संयुक्त सचिव के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

निम्नलिखित अधिकारियों को कार्यवृत्त की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे बैठक में लिए गए निर्णयों पर 3 **दिन के भीतर कार्रवाई करें :-**

1. श्री ध्रुव कुमार, निदेशक(ईएसडीडब्ल्यू) एवं एल.ओ.(एपीसीआर)
2. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव (एसएसडब्ल्यू)
3. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव (प्रशा./सी.सैल)

(एस.एन. मीणा)
भारत सरकार के अवर सचिव

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 14वीं बैठक का कार्यवृत्त

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 14वीं बैठक डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में **दिनांक 09-05-2011 को अपराह्न** 2.00 **बजे** उनके ऑफिस चेम्बर में आयोजित की गई थी । प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध–I** पर है ।

आयोग ने कार्यसूची की निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया:-

कार्यसूची की मद संख्या 1: **दिनांक** 18–04–2011 **को आयोजित आयोग की** 13**वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।**

आयोग ने दिनांक 18-04-2011 को आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

कार्यसूची की मद संख्या 2: **दिनांक** 18–04–2011 **को आयोजित आयोग की** 13**वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई ।**

आयोग ने 13वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार की गई कार्रवाई को नोट और अनुमोदित किया ।

कार्यसूची की मद संख्या 3: **कर्नाटक सरकार के साथ राज्य स्तर की समीक्षा बैठक ।**

आयोग ने निर्णय लिया कि राज्य सरकार को दिनांक 7-8 जून, 2011 को कर्नाटक की राज्य समीक्षा करने के इसके उद्देश्य से अवगत करा दिया जाए । आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि कर्नाटक राज्य की यात्रा के दौरान दिनांक 8-9 जून, 2011 को केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक की समीक्षा की जाए ।

(कार्रवाई: सी.सैल)

कार्यसूची की मद संख्या 4: **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण ।**

आयोग ने कम्प्यूटरीकरण के कार्य में प्रगति को नोट किया । "एनआईसी दिनांक 10-05-2011 को एक प्रस्तुतीकरण पेश करेगा" से आयोग को अवगत कराया गया । आधुनिकीकरण के संबंध में आयोग को सूचित किया गया कि वर्तमान कार्यालय परिसर के नवीकरण के आर्किटेक्ट डिजाइन में परिवर्तन के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. के साथ मामले को उठाया गया है । लोकनायक भवन में अतिरिक्त स्थान के आबंटन या फरीदकोट हाउस के आबंटन के लिए सम्पदा निदेशालय को भी एक पत्र लिखा गया है ।

मामले पर और आगे विचार किया गया तथा माननीय अध्यक्ष ने चाहा कि भूमि के आबंटन के लिए संबंधित एजेंसी के साथ मामले को उठाया जाए ताकि आयोग के लिए एक अलग भवन का निर्माण किया जाए । माननीय उपाध्यक्ष ने सुझाव दिया कि आयोग को कनॉट प्लेस स्थित एनडीएमसी बिल्डिंग में 2-3 मंजिलों की मांग करनी चाहिए जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति द्वारा हाल ही में खाली की गई हैं । माननीय अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे मामले को देखें और उनकी सहमति के अनुसार सिफारिश करें जिससे कि इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जा सके । माननीय उपाध्यक्ष ने इसकी स्वीकृति दी । (**कार्रवाई: सामान्य प्रशासन**)

कार्यसूची की मद संख्या 5: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद ।

(i) माननीय अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि राज्य निदेशकों को एससीपी संबंधी सूचना/डेटा, समूह क, ख, ग और घ पदों और सेवाओं से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अभ्यावेदनों तथा राज्य समीक्षा के लिए अपेक्षित पीओए एक्ट/पीसीआर एक्ट की सूचना के साथ तैयार रहना चाहिए ताकि राज्य समीक्षा की जा सके । आयोग पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात की समीक्षा करेगा । (**कार्रवाई: सी.सैल**)

(ii) माननीय अध्यक्ष ने इच्छा व्यक्त की कि एससीपी निधि की उपयोगिता का प्रभावी मॉनीटरिंग होना चाहिए । उन्होंने सलाह दी कि राज्य निदेशकों को उन विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचना एकत्र करनी चाहिए जिन पर एससीपी निधि प्राप्त की जा रही है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी योजनाएं केवल अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए ही हैं । उन्होंने आगे कहा कि राज्य निदेशकों को एससीपी और एससीए से एससीपी तक के बारे में पूर्ण और अद्यतन सूचना सदैव तैयार रखनी चाहिए । एससीपी संबंधी निधियों की उपयोगिता का मॉनीटरिंग आयोग की बैठक का हिस्सा होगा और संबंधित राज्य निदेशक आयोग के विचार-विमर्श के लिए विश्लेषण सहित डेटा प्रस्तुत करेगा । (**कार्रवाई: ईएसडीडब्ल्यू**)

(iii) माननीय अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि मुख्यालय में 6000 लम्बित अभ्यावेदनों के निपटान के लिए संविदा आधार पर कर्मचारियों को हायर किया जाना चाहिए और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए । (**कार्रवाई: प्रशासन**)

(iv) संयुक्त सचिव ने सूचित किया कि हाथ से सफाई करने के मुद्दों से संबंधित समितियों के लिए पीओए एक्ट, 1989 में संशोधन, पोस्ट बिल में आरक्षण में संशोधन इत्यादि के लिए अपेक्षित सामग्री संबंधित समितियों को उपलब्ध करा दी गई थी तथा सभी समितियों के अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे अपनी सिफारिशें विशेषकर पीओए एक्ट संशोधन की प्रगति के संबंध में शीघ्र सिफारिश करें ताकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा इसे स्वीकार किया जाए और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को इसकी अनुशंसा की जाए क्योंकि वे उपर्युक्त के लिए दबाव डाल रहे हैं । (**कार्रवाई: संबंधित समितियों के अध्यक्ष/सदस्य सचिव**)

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

अनुबंध -I

रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की दिनांक 09-05-2011 को अपराह्न 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष, रा-ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के आफिस चेम्बर में आयोजित 14वीं बैठक ।

उपस्थित सदस्य एवं अधिकारी

क्र.सं. ***नाम एवं पदनाम***

1. डॉ. पी.एल. पुनिया, अध्यक्ष
2. श्री राज कुमार वेरका, उपाध्यक्ष
3. श्री राजू परमार, सदस्य
4. श्री एम. शिवाना, सदस्य
5. श्रीमती लता प्रियाकुमार, सदस्य

अधिकारी

1. श्री टी. तीथन, संयुक्त सचिव
2. श्री एस. केसवा अय्यर, उप सचिव
3. श्रीमती विभा सूद, निदेशक, राज्य कार्यालय चंडीगढ़
4. श्री एस.एन. मीणा, अवर सचिव